



कृषि ,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (उद्यान प्रभाग)

E-Mail ID : atmajmt@gmail.com

विभागीय राज्यादेश सं० – 40 दिनांक – 11.11.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में केन्द्र प्रायोजित मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर (MIDH) योजनान्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जामताड़ा जिला अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के बहुमुखी विकास के साथ – साथ कृषकों के आय में अधिक से अधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से इच्छुक कृषकों को अनुदानित दर पर नीचे अंकित विभिन्न अवयवों का लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक – 12.02.2023 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जिला उद्यान कार्यालय, जामताड़ा से कार्यालय अवधि/ www.jamtara.nic.in/ www.atmajamtara.org.in में आवेदन प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला-जामताड़ा के लिए लक्ष्य निम्नवत है :-

क्र०	कार्य अवयव	भौतिक लक्ष्य (सं० में)	अनुदान %	प्रति हेक्टेयर अनुदानित राशि (लाख में)	प्रति हेक्टेयर कृषक अंशदान (लाख में)
1	Seed Production for vegetable and spices	0		0.000	
2	Establishment of new gardens/ Area expansion normal spacing				
i	Dragon Fruit	1	40%	0.96	1.44
ii	Pineapple (TC)	1	40%	1.125	1.6875
iii	Papaya	1	40%	0.75	1.125
iv	Mango (10mx10m	8	40%	0.0765	0.11475
v	Guava	5	40%	0.11502	0.17253
3	Vegetable (Hybrid) Cultivation	6	40%	0.20	0.30
4	Flower				
i	Cut Flower	4	40%	0.4	0.60
ii	Bulbus Flower	4	40%	0.6	0.90
iii	Loose Flower	4	40%	0.16	0.24
5	Seed Spices and Rhizomatic Spices	10	40%	0.12	0.18
6	Cashew area expansion	40	40%	0.12	0.18
7	Creation of water resources	0.14	100%	20	0.0
8	water harvesting System individual	3	100%	0.9	0.0

9	Plastic Mulching	2	50%	0.16	0.16
10	Anti Bird/ Anti Hail Nets	2	50%	1.75	1.75
11	Organic Farming- Vermi compost unit/ organic input production HDPE vermibed	6	50%	0.08	0.08
12	HRD				
i	Training of Farmers(within State)	25	100%	0.05	0.0
ii	Training of Farmers (outside state)	5	100%	0.17	0.0
iii	Exposure vist of Farmers (Outside the state)	5	100%	0.17	0.0
13	Pack house	1	50%	2	2.00
i	Preservation Unit	6	50%	2.5	2.50
ii	Evaporative/ low energy cool chamber	6	50%	1	1.00
iii	Low cost Onion storage structure (25 MT)	2	50%	0.87	0.87
iv	Static Mobile Vending cart	1	50%	0.15	0.15

नोट :-

योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक/स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन पंचायती राज संस्था के मुखिया/जनप्रतिनिधि/जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसा कराकर आवश्यक कागजात यथा पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक विवरणी/मोबाईल नम्बर/जमीन का रकबा/सब्जी का नाम/जमीन का खाता संख्या/प्लॉट नम्बर के साथ पूर्ण विवरणी संलग्न करते हुए आवेदन पत्र दिनांक- 20.09.2022 के संध्या 5:00 बजे तक जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सखेलडीह, जामताड़ा में जमा कर सकते हैं।

लाभुक का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

अनुदान हेतु लाभुक चयन के लिए निम्नांकित न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक होगा-

1. आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सभी कागजात के साथ होगा।
2. आवेदन की प्रति मुखिया अथवा अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित किया हुआ हो।
3. आवेदक द्वारा पूर्व के तीन वर्षों तक इस योजना कार्य अवयव का लाभ नहीं लिया हो-
4. आवेदक के पास पर्याप्त भूमि हो तथा सब्जी, फल, फूल आदि की खेती करते हों।
5. कृषक अंशदान की राशि व्यय करने को इच्छुक हो।
6. आवेदक द्वारा स्वयं जमा किया गया आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
7. लाभुक के चयन में FPO/प्रगतिशील कृषकों/महिला स्वयं सहायता समूह/सिंचाई सुविधा युक्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा लाभुकों के चयन में टोकन प्रणाली को अपनाते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

सभी योजनाओं हेतु आवेदक द्वारा कार्यालय में जमा आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत प्रदान करने का अधिकार जिला स्तरीय चार सदस्यी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

योजना की विस्तृत जानकारी जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सखेलडीह, जामताड़ा से प्राप्त की जा सकती है।

सम्पर्क नं०- अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा- 07992234027

जिला उद्यान पदाधिकारी,
जामताड़ा।

01/02/2023

01/02/2023